

निदेशालय पंचायतीराज
उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या 46/1-पं./स्था.(28)/2015-16,
देहरादून: दिनांक 06 जून, 2015

आदेश

निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या-1024/1-पं./स्था./2010-11, दिनांक 5.10.2010 के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, राजकीय पॉलीटेकनिक पित्थूवाला परिसर, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1257/उप्राशिप/स.ग.भ.प.-2011/च0सं0/2014-15 दिनांक 2.5.2015 द्वारा उत्तराखण्ड समूह 'ग' सम्मिलित भर्ती-2011 (द्वितीय चरण) के आधार पर चयनित/संस्तुत श्री दीपक सिंह पटवाल को सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 973/XII/2015-92(01)/2015 दिनांक 5.6.2015 में दी गई सहमति के क्रम में पंचायतीराज निदेशालय में सहायक लेखाकार के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 2800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

- उक्त नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा काल के रूप में की जाती है।
- इन्हें नियुक्ति के स्थान पर योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- सुसंगत नियमावली एवं शासन के कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियमों के अन्तर्गत ही स्थाईकरण एवं पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।
- श्री दीपक सिंह पटवाल एक माह के अन्दर अपनी योगदान सूचना अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा योगदान के समय निम्न सूचनाएं/प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

1- केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

2- अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

3- एक से अधिक पत्नी न होने की घोषणा।

4- समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में घोषणा जिसके वे स्वामी हों।

5- राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीन प्रमाण पत्र।

6- राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभि-प्रमाणित पासपोर्ट साईज के दो नवीनतम फोटोग्राफ।

7- इण्डियन सीक्रेट्स एक्ट-1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

8- शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की अभि-प्रमाणित प्रति जिसका सत्यापन योगदान के समय मूल अभिलेखों से कराया जाय।

09- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

10-सम्बन्धित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र भी उपलब्ध करायेंगे कि विभाग द्वारा सहायक लेखाकार के संदर्भ में जो भी सेवा नियमावली तैयार की जायेगी, वो उसके पालन हेतु बाध्यकारी होंगे तथा इस अण्डरटेकिंग के साथ ही योगदान कर रहे हैं।

(हरबंस सिंह चुघ)
निदेशक

संख्या 46/1-पं./स्था.(28)/2015-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- लेखा अनुभाग, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- श्री दीपक सिंह पटवाल पुत्र श्री दलबीर सिंह,मौहल्ला जसपुरखुर्द, गढवाल सभा,पो0 काशीपुर जनपद ऊधमसिंहनगर।
- गार्ड फाईल।

(हरबंस सिंह चुघ)
निदेशक